



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवीकर गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को 04 वर्ष 10 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 498/2019 धारा- 2(बी)(1)/3 गैंगस्टर0 एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0न्यायालय एफटीसी प्रथम/ जीएसटी कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रामशंकर श्रीवास पुत्र उदयभान श्रीवास नि0 कुम्हरौड़ा इलाही तालाब कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर 04 वर्ष 10 माह व ₹5,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार



विवेचक-
निरी0 मिथलेश
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का0 शुभम यादव